बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या व.सं. / 106 / 2022–88

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 20/01/2025

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45 –84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर एवं वन संरक्षक, पटना के माध्यम से अनुसंशा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45 –84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है जिसमें कुल 22.716 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 4177 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर एवं वन संरक्षक, पटना अंचल द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	भोजपुर	40.45–84.30 कि0मी0	22.716	3500	677
		कुल	**22.716**	**3500**	**677**

3. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 22.716 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा भाग–II कि प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में 677 वृक्षों का पातन एवं 3500 वृक्षों का पुर्नस्थापन किया जायेगा। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 22.716 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अर्थात् 45.432 हे0 अर्थात् 45.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि रोहतास वन प्रमंडल अन्तर्गत, रोहतास वन प्रक्षेत्र के मौजा बुधुआ (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. यह प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का है। इन परियोजनाओं में अपयोजित होने वाली वन भूमि (22.716 हे0) के समतुल्य क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि चिन्हित नहीं किया गया है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनिमय, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 540 दिनांक 20.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, के अपवादात्मक परिस्थितियों वाली परियोजनाओं में, राज्य में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये गैर वन भूमि अनुपलब्ता कि स्थिति में, क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव अवकृष्ट वन भूमि में प्रस्तावित किया जाना है।

9. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 2949 (अनु0) दिनांक 24.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पटना के पत्रांक 34 दिनांक 06.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गैर वन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण अपवादात्मक परिस्थिति के अनुरूप वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त कंडिका संख्या–9 पर राज्य सरकार के स्तर से निर्णय अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव अपवादात्मक प्रस्ताव के श्रेणी अन्तर्गत का है, एवं राज्य में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

10. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा भाग–II की प्रविष्टि, अनुशंसा नोट, वृक्ष गणना सूची, इत्यादि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसके आलोक में प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है। परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता एजेंसी, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा ऑन लाईन किये गये अनुशंसा की Downloads प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

11. विषयक प्रस्ताव के साथ अत्यधिक दस्तावेज होने के कारण इसे e-Office Portal पर अपलोड करने में कठिनाईयाँ हो रही है। अतएव विषयक प्रस्ताव को e-Office Portal पर अपलोड किये बिना ही

12. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 22.716 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,17,56,930/– (रूपये दौ करोड़ सतहर लाख छप्पन हजार नौ तीस) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 22.716 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रोहतास प्रक्षेत्र अन्तर्गत अवकृष्ट वन भूमि यथा बुधुआ मौजा (सुरक्षित वन) को चिन्हित करते हुए कुल रू० 1,05,14,922/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।
4. राज्य सरकार के स्तर से निर्णय अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव अपवादात्मक प्रस्ताव के श्रेणी अन्तर्गत का है, एवं राज्य में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. परियोजना निर्माण के क्रम में पौधों का पुर्नस्थापन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कराया जायेगा। पुर्नस्थापित होने वाले पौधों के लिये स्थल एवं प्रक्रिया का निर्धारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा किया जायेगा।
6. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/11/25

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45 –84.30 कि0मी0) कुल 43.85 कि0मी0 में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 22.716 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
11	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

20/1/25

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

In the Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna (Sakla to Patar) Road (40.45-84.30 KM) section of NH-119A under Bharatmala Pariyojanj in Bhojpur district involving the use and diversion of aggregate area of 22.716 ha of forest land notified as "Protected Forest" being the tree plantations along the above above mentioned roads in Bhojpur districts and Bhojpur forest division is essential requirement for rehabilitation and upgrading to Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna (Sakla to Patar) Road (40.45-84.30 KM) section of NH-119A under Bharatmala Pariyojanj in Bhojpur district is justified in that context.

Therefore the proposed diversion of the 22.716 ha of forest lands under reference is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter.

Date : 20.01.2024
Place : Patna

Signature
Name & Designation – Arvinder Singh
APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC)
(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय – पटना
क्लासिकॉन शिवमित्रा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक–बी, प्रथम तल, विवेकानन्द मार्ग, बोरिंग रोड, पटना - 800013 (बिहार)
Regional Office - Patna
Classicon Shivmitra Apartment, Block-B, 1st Floor, Vivekanand Marg, Boring Road, Patna - 800013 (Bihar)
फोन/Ph.: 0612-2570898 I फैक्स/Fax: 0612-2570895 I Email : ropatna@nhai.org

NHAI/RO-PAT/Forest/2020/34

Date: 06.01.2025

To,

The Secretary,
Environment, Forest and Climate Change Department
Government of Bihar

Sub: Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from Km 40+450 to Km 84+300 under Bharatmala Pariyojana (Lot-7/Package-2) in the State of Bihar (Package-II) – **Stage – I Forest Clearance – reg**

Ref: (i) CF cum Special Secretary, Forest Department, GoB letter no. 4478, dated 21.12.2024
(ii) MoEF&CC Gazette notification no G.S.R 58 (E) dated 20.09.2024

Madam,

Please refer MoEF&CC Gazette notification dated 20.098.2024 vide which it has been notified that in case of non – availability of NFL, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted.

2. In line with the above provision, NHAI vide letter dated 26.09.2024 cited under ref(ii) have previously, requested to consider the compensatory afforestation on degraded forest land for various NHAI Projects.

3. Conservator of Forest cum Special Secretary vide letter dated 21.12.2024 has advised to take further action as per legal opinion of Advocate General, Bihar.

4. In legal opinion of Advocate General, it has been mentioned that User agency have to seek exemption in term of amended provision on case to case basis.

5. Based on the legal opinion, it is requested to exempt following project from providing an equivalent area of non-forest land for compensatory afforestation.

6. The details of the project for which exemption is being sought is as under:

Name of the Project	Forest Proposal ID	Area to be diverted	Date of Submission
Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from Km 40+450 to Km 84+300 under Bharatmala Pariyojana (Lot-7/Package-2) in the State of Bihar (Package-II)	FP/BR/ROAD/157384/2022	22.716 Ha	25-06-2022

7. In light of above, it is kindly requested to direct the concerned officers for expeditious disposal of the proposal.

Yours Sincerely,

(Y.B Singh)
Regional Officer

Copy to:

(i) ACS, RCD : For kind information please.
(ii) APCCF, Nodal Officer : For kind information and necessary action please.

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्याः–एन0एच0–24/भू–अर्जन–01–01/2019 - 2949 (अनु) दिनांकः– 24-10-2024

प्रेषक,

डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय– वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के तहत राज्य अन्तर्गत पथ निर्माण परियोजनाओं में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग– 1)क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना का पत्रांक–2112 दिनांक–17.10.2024.

2) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का अधिसूचना दिनांक–20.09.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित परियोजनाओं में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित होने वाले वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि देने से छूट प्रदान करने के आलोक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं (सूची संलग्न) हेतु गैर वन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण अपवादात्मक परिस्थिति के अनुरूप वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने से छूट प्रदान किया जाय।

अतः राज्य के लिए महत्वपूर्ण इन परियोजनओं हेतु Stage-I की स्वीकृति तत्परतापूर्वक प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

22.10.24

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

ज्ञापांक– 2949 दिनांक–24-10-2024

प्रतिलिपि –क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.10.24

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

ज्ञापांक– 2949 दिनांक– 24-10-2024

प्रतिलिपि –अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु समर्पित।

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

ज्ञापांक– 2949 दिनांक– 24-10-2024

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

1652

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय – पटना
क्लासिकोन शिवमित्रा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक–बी, प्रथम तल, विवेकानन्द मार्ग, बोरिंग रोड, पटना - 800013 (बिहार)
Regional Office - Patna
Classicon Shivmitra Apartment, Block-B, 1st Floor, Vivekanand Marg, Boring Road, Patna - 800013 (Bihar)
फोन/Ph.: 0612-2570898 | फैक्स/Fax: 0612-2570895 | Email : ropatna@nhai.org

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

NHAI/RO-PAT/Forest/2024/2112

Date: 17.10.2024

To,

The Nodal Officer- cum APCCF (CAMPA),
Environment, Forest, and Climate Change Department,
Aranya Bhawan,
Government of Bihar, Patna.

Sub: Regarding Forest Clearance of NHAI projects.

Ref: MoEF&CC , Gazette notification no G.S.R 582 (E) dated 20.09.2024

AE (Manish) 21/10/24

Sir,

With reference to above Gazette Notifications, it is submitted that NHAI is not in possession of non-forest land required to be provided for diversion of forest land in 12 nos. of projects, which are pending for quite some time for 1st stage clearance. (List of projects enclosed at Annexure-I).

In view of the above, it is requested that all the above 12 projects may please be treated as exceptional cases in accordance with above notification and should be sent to IRO, Ranchi with the provision of compensatory afforestation on double the degraded forest land.

Thanking you,

Yours Sincerely,

(Y. B. Singh)
Regional Officer

Encl: As above.

Copy to following for information and needful action please:

1. The Additional Chief Secretary, Revenue & Land Reforms, Govt. of Bihar
2. The Additional Chief Secretary, RCD, Govt. of Bihar .

Annexure-I

Proposals pending for Stage I

Sl. No.	PIU	Proposal Name	Stage of Project (AD Pending/LoA pending/DPR)	File No. / Proposal No.	Forest Area (Proposed) (ha)	Proposal Submission Date
1	Supaul	Umagaon-Sharsha Pkg-V	Under Construction	FP/BR/ROAD/407538/2023	18.1585	23.11.2022
2	Gaya	Construction of four laning of Rajauli-Bakhtiyarpur section from Km 47+723 to Km 54+405 of NH-31 (Package-I) in the State of Bihar	AD Pending	FP/BR/ROAD/40700/2019	10.368	17-06-2019
3	Sasaram	Construction of 4/6-lane access controlled Greenfield Expressway from Varanasi to Kolkata (Package-I) via Ranchi with spur to Kharagpur under Bharatmala Pariyojana Phase-II (Lot-9/Pkg-3)	AD Pending	FP/BR/ROAD/404312/2022	1.5	11-07-2022
4	Aurangabad	Construction of 4/6-lane access controlled Greenfield Expressway from Varanasi to Kolkata (Package-II) via Ranchi with spur to Kharagpur under Bharatmala Pariyojana Phase-II (Lot-9/Pkg-3)	Yet to be Award	FP/BR/ROAD/401205/2022	36	30-09-2022
5	Aurangabad	Construction of 4/6-lane access controlled Greenfield Expressway from Varanasi to Kolkata (Package-III) via Ranchi with spur to Kharagpur under Bharatmala Pariyojana Phase-II (Lot-9/Pkg-3) in the state of Bihar	AD pending	FP/BR/ROAD/404838/2022	103.211	04-11-2022
6	Sasaram	Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from Km 0+000 to Km 40+450 under Bharatmala Pariyojana (Lot-7/Package-2) in the State of Bihar (Package-I)	DPR (Under bidding)	FP/BR/ROAD/157376/2022	4.22	25-06-2022
7	Patna	Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from Km 40+450 to Km 84+300 under Bharatmala Pariyojana (Lot-7/Package-2) in the State of Bihar (Package-II)	DPR (Under Bidding)	FP/BR/ROAD/157384/2022	22.716	25-06-2022
8	Patna	Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from Km 00+000 to Km 34+800 (Ring Road) under Bharatmala Pariyojana (Lot-7/Package-2) in the State of Bihar (Package-III)	DPR (Under Bidding)	FP/BR/ROAD/157408/2022	1.964	24-06-2022
9	Supaul	Umagaon-Kaluahi, Saharghat-Rahika & Bideswarsthan-Bheja Pkg1, Pkg2, Pkg3	AD Pending	FP/BR/ROAD/154991/2022	39.1096 (32.27 revised)	19-05-2022
10	Motihari	Siwan-Masrakh NH 227 A from Km 0+000 to Km 45.906 under BRT Scheme of Bihar	AD Pending	FP/BR/ROAD/148309/2021	8.322	20-10-2021
11	Supaul	Madhubani Bypass Pkg 4	AD Pending	FP/BR/ROAD/408110/2022	0.1586	29.11.2022
12	Patna	Bakarpur-Manikpur Section in the state of Bihar.	Under Construction	FP/BR/ROAD/400938/2022	4.108	16-12-2022

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257289
CG-DL-E-20092024-257289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely : —

"Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis".

3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —

(i) The entries against serial number 2, under the brackets and words "*(This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)" shall be omitted;*

(ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words "*(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)"* shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29th November, 2023.